

क्र. सं. 34/17

इतवार बरौकी/मजरा

12-6/18 बाबला वर ही बाठालान बाबला  
राजकार्म में आये है।  
बहा. पनाबली पूरा है। 7 दिनांक  
20:7:18



20/7/18

पनाबली पेश है बरौकी बादी  
इसबाब बरौकी बादी द्वारा सम्बन्धित  
बाठालान बाठालान नामा एवं प्रवेदन पर  
पेश किए जो शा. का. किए गए  
तदुपलक्ष्य को. शा. से मुक्त भोक्ता  
रिपोर्ट को शामिल करके कि गई।  
बरौकी बादी को कसब सुनने  
गई बरौकी बादी द्वारा निवेदन किया  
कि रिपोर्ट 5-689 को, बाठालान  
के नाम के नाम मुझे आवंटन  
है। सम्बन्धित इन्तजाम अलग है  
आता अकेले कारेशान के नाम खोदवादी  
द्वारा करने को कोर्ट पर करना  
जरूरी है।

पनाबली से रिपोर्ट तदुपलक्ष्य  
को. शा. एवं सम्बन्धित रिपोर्ट को  
अवलोकन गठनता से किया गया  
रिपोर्ट के अवलोकन पर यह पता.

बा. वंशीलाल

जब कि जारी जन के लिए 30 अंश

जिस जमा बावरी कि. जमाने के नाम  
वर्ष 1989 में दिनांक 5.6.89 में

जमा जमाने के अंश में. 54 अंश  
2.27 है कि सावधान निम्न भा. 7. 54

अंश 1.00 है इसा 1. जिस का देवत से  
के पश्चात से इनके परिधान की अंशों,

व्यक्तिगत, सामान्य, आशावादी, व जारी की  
जिस अंगीरवा अंश का मत है। अंश

अंशों एवं निम्न अंशों में. सा  
के आधार पर जमा - जमाने अंश. में.

54 अंश 2.27 है कि में अंश 1.00 है  
कि अंगीरवा के परिधान अंशों का अंशों

को अंशों के अंशों किमा जाता है व अंशों  
अंशों किमा जाता है एवं अंशों के अंश.

को अंशों किमा जाता है अंशों का  
अंशों किमा में अंशों के। अंशों का

किमा जारी अंशों अंशों के अंशों  
अंशों के अंशों से अंशों है। अंशों

निम्न अंशों अंशों।

अंशों अंशों  
अंशों अंशों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

21/8  
 पत्रावली  
 54  
 1.00  
 वादीगणो  
 व आवेगार  
 ए जो.भा.  
 उपा  
 उप  
 शुभा  
 11501

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तामील में  
 जारी हुए

21/8 पत्रावली वकिल वादी के आवेगार  
 पत्र दिनांक 23.8.18 धारा 151  
 जा.दी. सेवा करने पर पेश हुई  
 वकिल पत्रों के प्रतीन पत्र एवं  
 पत्रावली पर उपलब्ध सिद्धि का  
 अवलोकन किया गया। प्रतीन पत्र  
 में निवेदन किया कि स्वसरा अख्या-  
 54 के अन्तर्गत स्वसरा अख्या-54  
 महकम से लिख दिया गया है।  
 पत्रावली का अवलोकन करने पर  
 पत्रावली में दि. स्वसरा अख्या 54  
 के अन्तर्गत स्वसरा अख्या - 54  
 लिख दिया गया है। अतः  
 संशोधित डिक्ली जारी की जाएगी पत्रावली  
 में संशोधन किया जाना उचित  
 है।  
 अतः संशोधित डिक्ली जारी  
 की जाएगी पत्रावली में स्वसरा अ. 54  
 में दर्ज किया जाने पत्रावली  
 वाकिल अन्तर्गत है = 1 श्री

# अज्ञात डिगरी व मुकदमें इबतदाई

(आदेश 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

गढ़(राज.)

आज अदालत उपखण्ड अदालत मुकाम जैसलमेर  
 बड़जलास मुकदमा नं. 34 (P.A.S.)  
अज्ञात बनाम अज्ञात  
 दावा बावत् 88 P.T.A.  
 मुकदमा नं. 34 सन् 2017

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
जारी

यह मुकदमा बात वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ..... व हाजरी  
..... मिनजानिब मुदई व .....  
..... मिनजानिब मुदयलह पेश होकर हुकुम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि  
जाम नाराणी के खसरा खसरा - 54 रकबा - 2.27 है.  
में 1.00 है. में श्री उपखण्ड अदालत, जैसलमेर, अज्ञात  
अज्ञात व अज्ञात का जवाबदार एकात्मक जोड़ित  
किया जाता है। इसका गजरत रिवाइ व प्रकन करे।

नीज ..... मुदलीग ..... बायत .....  
 खर्चा इस मुकदमें के मय खुद व शहर ..... फीसदी रालाना आज  
 की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक ..... का अदा करे।

बसकत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.8.18 को जारी  
 की गई।

418  
 दस्तखत उपखण्ड अदालत  
जैसलमेर  
 औहदा .....

मुहर

| मुदई                   | रुपया | पैसे | मुदायल                 | रुपया | पैसे |
|------------------------|-------|------|------------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजी दावा      |       |      | स्टाम्प वकालात नामा    |       |      |
| स्टाम्प वकालात नामा    |       |      | स्टाम्प अरजी           |       |      |
| स्टाम्प वजह सबूत       |       |      | महनताना वकील           |       |      |
| महनताना वकील           |       |      | खर्चा गवाह             |       |      |
| खर्चा गवाहान           |       |      | फीस कमिश्नर            |       |      |
| फीस कमिश्नर            |       |      | बावत् इजराय हुक्म नामा |       |      |
| बावत् इजराय हुक्म नामा |       |      | मुतफरिक                |       |      |
| मुतफरिक                |       |      |                        |       |      |
| मीजान                  |       |      | मीजान                  |       |      |

नोट - इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये विलाया गया है ..... दर्ज  
 करना चाहिये।  
उपखण्ड अदालत  
जैसलमेर

